सत्यमेव जयते

पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग
राजस्थान

संजय सोलंकी,
निदेशक

अ.शा. क्रमांकः निपेवि/पीसी/
ई–कुबेर/2020–21/ 2532-K/19-01-2022
दिनांकः

विषयः–राजस्थान राज्य के पेंशनर जो राजस्थान से बाहर पेंशन प्राप्त कर रहे है, उनकी पेंशन भुगतान बैंको द्वारा पूर्वानुसार ही किए जाने बाबत्।

प्रिय श्री, राव साहब,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पत्र क्रमांक 1661–69–K दिनांक 16.12.2021 की ओर आकर्षित कर लेख है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांके प.10(11)वित्त/राजस्व/2015/लूज दिनांक 16.12.2021 के क्रम में राजस्थान राज्य में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर को माह दिसम्बर 2021 (देय 01.01.2022) से पेंशन का भुगतान बैंको द्वारा नहीं किया जाना निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में पत्रांक 1876–85 दिनांक 28.12.2021 द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया था कि राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स जो अन्य राज्यों में पेंशन प्राप्त कर रहे है, उनको अग्रिम आदेशों तक पेंशन का भुगतान पूर्व की भांति बैंको द्वारा ही किया जावेगा, परन्तु कुछ राज्यों विशेष रूप से पंजाब एवं हरियाणा में आपके बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को माह दिसम्बर 2021 की पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

कृपया व्यक्गित रूप से ध्यान देकर अन्य राज्यों में पेंशन प्राप्त कर रहे राजस्थान सरकार के पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान अग्रिम आदेशों तक पूर्वानुसार ही यथा समय कराया जाना सुनिश्चित करें।

सादर।

भवदीय,

(संजय सोलंकी)
निदेशक

श्री.सीएच. एस.एस.मल्लिकार्जुन राव,
प्रबन्ध निदेशक,
पंजाब नेशनल बैंक,
प्लॉट न. 4, सेक्टर 10, द्वारका,
नई दिल्ली–110075

OSD/Sir/316